

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 2(2)म.म./2022

जयपुर, दिनांक ०६.०५.२०२२

परिपत्र

विषय:— प्रशासनिक विभागों द्वारा मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मंत्रिमण्डल ज्ञापनों के संबंध में।

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले मंत्रिमण्डल ज्ञापनों को प्रशासनिक विभाग के स्तर पर परीक्षण किये बिना ही, अधीनस्थ विभागों की पत्रावली के साथ मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जाते हैं। अधीनस्थ विभाग को पत्रावली पर मंत्रिमण्डल ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना समीचीन नहीं है।

मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, जिनका परीक्षण प्रशासनिक विभाग के स्तर पर किया जाकर, प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के साथ हो मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का प्रशासनिक विभाग के स्तर पर परीक्षण कर, प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के साथ ही मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.3.2022 में उल्लेखित दिशा—निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

३४।
(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव
१५/८२

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री।
5. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग